राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1136/2024

रामलखन —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उपशासन सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर।
4. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, धौलपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 01.03.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री जे. आर. चौधरी, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ आयुर्वेद कम्पाउण्डर के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, कोटरा, धौलपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापित स्थान राजकीय आयुर्वेद औषधालय, विश्नोदा, धौलपुर दर्शाते हुए राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, नसिराबाद, जिला अजमेर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 600 कि.मी. दूर किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 के संशोधित आदेश दिनांक 23.02.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण का पदस्थापन स्थान राजकीय आयुर्वेद औषधालय, कोटरा धौलपुर से राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, नसीराबाद, अजमेर किया जाना पढ़ा जावे। अपीलार्थी की पत्नी की उम्र 50 वर्ष है, जो सर्वाईकल की बीमारी से ग्रसित है। जिसके कारण उसे चलने—फिरने एवं उठने—बैठने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जिनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। भारत सरकार के आदेश कमांक प.1(124) ग्रावि/अनु./नीति आयोग/2017 दिनांक 11.10.2019 द्वारा धौलपुर को आशान्वित जिला घोषित कर

रखा है, जिसमें पद रिक्त रखे जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को राजकीय आयुर्वेद औषधालय, कोटड़ा, जिला धौलपुर में यथावत रखा जावे एवं वेतन भत्तों का भुगतान किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील को ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ आयुर्वेद कम्पाउण्डर के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, कोटरा, धौलपुर में दिनांक 16.08.2021 से कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 03 वर्ष के पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.02.2024 के द्वारा राजकीय आयुर्वेद औषधालय, कोटरा धौलपुर से राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, नसीराबाद, अजमेर किया है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है।

5. अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस. एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> ***"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."***

6. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 600 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया

जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276)** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> ***"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."***

7. इस प्रकार स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।
8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य